

उत्पन्न, संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड कस्तुरी नदी निम्नलिखित, विभिन्न, अद्वैत, सिद्धांत का प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी की पाठ्यक्रम की संख्या यदि भी भी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असाध्य मुश्किल है तो इस संख्या में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए प्रोफेसर अथवा उत्तरदायी हस्ताक्षर प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, प्रौद्योगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को कोई बत उत्पन्न किया जाता है तब द्वारा बत के संबंध में प्र. उपस्थित द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संख्या अद्वैत निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संख्या की कल्पना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी की पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व प्रोफेसर/अद्वैत से अनुमोदन प्राप्त करना परीक्षा कार्यवाही की आवश्यकता होगी अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय) के माध्यम से अपना संस्था सार पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की स्थिति बुकबंद नई संस्था की विवरणिक नवी भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, बत विभाग आदि का सारा सारा, कायदा सारा आदि का विवरण उपस्थित प्रस्तुत होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरिष्ठित आवासीय उपस्थित करने के साथ विभिन्न टैक्सों के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित होना है कि संस्था में प्रस्तावित आवासीय पाठ्यक्रम की प्रस्ताव करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्थित करनी गयी अथवा भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरिष्ठित का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की संबंधित समस्त विवरणों की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यक 10-अद्वैत/सी/टी/अद्वैत/पी/सी/आई/अद्वैत/पी/सी के संयुक्त/संयुक्त उपस्थित नहीं प्राप्त होता है तो संस्था की संबंधित समस्त का भी उपरिष्ठित।
- ✓ संबंधित छात्रों का अनुमोदन न करने वाले संस्था छात्रों का उपस्थित विवरण अपने को सिद्धांत में प्रस्तावित/अनुमोदन/संस्था कार्यवाही की जाएगी।

(रुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- 0514/2511111 संख्या/2021/2538-1808

दिनांक: 08/08/2021

पते/पता-

पधान/पते/पते/पते, JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY, KHAR ROAD, LOOHA, ALIGARH



(रुनीत कुमार सोनकर)

सचिव



15/08/21
JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY
KHAR ROAD, LOOHA, ALIGARH

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संसदन,

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/4715

संसदन दिनांक: 20/09/2022

कार्यालय जांच

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इजिनेयर्स, नई दिल्ली द्वारा वैदिक वर्ष 2022-23 हेतु विद्यापीठ सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदन से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिती द्वारा सन 2022-23 हेतु आर्केटेड नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य भदों पर विचार करते हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नई संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदन द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चरी अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1929-JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.टी.सी.आई.टी./पी.सी.आई.टी.आई.टी. द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.टी.सी.आई.टी./पी.सी.आई.टी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2016 तथा असाह-समय पर निर्गित आदेशों/पत्रों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क तीन कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करेगी। प्रवेश शुल्क 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त हेतु रु. 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर संसदन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाकर आसुर्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिती द्वारा यदि सन 2022-23 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश नरीक्षा परिषद द्वारा आर्केटेड छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को असाह-समय पर निर्गत आदेशनादेश के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संसदन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गित विधिनियमों/अधिनियमों/आदेशनादेशों/निर्देशों एवं विनियमों, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरप्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यकारी है।

(Signature)
 Director
 All India Council of Technical Education
 New Road, Lucknow-226001

- ✓ यदि संस्थान का एम.बी.बी.डी.पी.टी.आई. से अनुमोदन गिराया जाता है तो इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूच प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित राशियों को अपनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसूच प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित कक्षा निर्धारण प्रारंभ होने के पूर्व एम.बी.बी.डी.पी.टी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (साक्षरता के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जयंत हेतु समस्त समय पर निर्गत सार्वजनिक आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, अन्य शिक्षा जाने वाला सुनक, साधनाय सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन/साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित साक्षरता कार्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था/संस्थान के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को अधिकतम राष्ट्रीय निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन, सम्पत्ति एम.बी.बी.डी.पी.टी.आई. के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानानुसार अनुसूचसमाप्तक कार्यवाही की जायेगी।


(एफओआरओ खान)

सचिव

फ़ॉर्म- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2022-21/111-2324

दिनांक: 20/05/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाध्यक्ष/निदेशक, JWAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY


(एफओआरओ खान)

सचिव


JWAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY
C/O. PRAJ. LAKSHY NAGAR

पुस्तक-संविधानसिद्ध संख्या/2023/32090002-13091230

दिनांक: 13-09-2023

संस्थान:-

संस्थान/संस्थान JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY

A

(अधीन सुनात सिद्ध)

संस्थान

Handwritten signature
Jivan Jyoti Institute of Pharmacy
Main Road, Laxmi Nagar